पंचानन्द झा
आप्त सचिव
मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
बिहार सरकार

P.S. TO MINISTER
DEPT. OF RURAL DEVELOPMENT
GOVT. OF BIHAR

पत्रांक................

दिनांक..................

प्रकाशनार्थ

43.5 करोड़ की लागत से मधुबनी में होगी जलापूर्ति एवं जल निकासी व्यवस्था

- 2 वर्ष में पूर्ण होगी योजना
- सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बनेगा

पटना, 17 जुलाई । राज्य सरकार मधुबनी में 43 करोड़ 48 लाख 38 हजार रूपयो की लागत से पेय जलापूर्ति एवं सिवरेज व्यवस्था का संस्थापन करायेगी ।

ग्रामीण विकास मंत्री, श्री नीतीश मिश्रा के अनुसार शहर में निर्बाध पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित होने और शहर को जल–जमाव से मुक्ति के लिए यह योजना अति महत्वाकांक्षी साबित होगी ।

उल्लेख्य है कि, शहरों के विकास के सैद्धांतिक निर्णय के तहत नागरिकों को आधारभूत संरचनाओं की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार कृत संकल्प है । बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम द्वारा तैयार कराये गए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति, बिहार ने कुल 25 जलापूर्ति एवं सिवरेज योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की थी ।

मधुबनी सहित राज्य के अन्य कतिपय जिलों में जलापूर्ति एवं जलापूर्ति–सह–सिवरेज योजनाओं के लिए भारत सरकार ने 762 करोड़ 64 लाख 82 हजार रूपयों के अनुमानित लागत व्यय की स्वीकृति दी है । इसमें मधुबनी शहर में जलापूर्ति एवं सिवरेज योजना के कार्यान्वयन हेतु 4348.38 लाख रूपये शामिल हैं । योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2015–16 तक पूर्ण करा लिया जाना है ।

राज्य मंत्रिमंडल के मंगलवार को पटना में सम्पन्न बैठक में इस योजना को अपनी स्वीकृति दी गई।

मालूम हो कि, राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों में जलापूर्ति हेतु बिछाई गई प्रणाली अत्यंत पुरानी है तथा शहरों के विस्तार होने से कई क्षेत्रों में जलापूर्ति की सुविधा नहीं है । राष्ट्रीय मानक के अनुसार सभी निवासियों को जलापूर्ति करने का यह योजना अगले 30 वर्षो की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है । योजना का उद्देश्य संबंधित शहरों के क्षेत्राधीन आवासित नागरिकों को राष्ट्रीय माप–दण्डों के अनुरूप जलापूर्ति की व्यवस्था उपलब्ध कराया जाना है ।

सिवरेज प्रणाली एवं सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण भी अगले 30 वर्ष तक की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया जाना है । वर्तमान समय में अनेक शहरों में सिवरेज प्रणाली के नहीं रहने के कारण शहरों में जल जमाव की स्थिति बनी रहती है । शहरों के आवासीय तथा अन्य प्रतिष्ठानों से निकलने वाले गंदे पानी को सिवरेज प्रणाली के जरिये ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुँचाने में आवश्यकतानुसार बीच में पम्पिंग स्टेशन का निर्माण प्रस्तावित है ताकि सिवरेज को असानी से प्लांट तक पहुँचाया जा सके ।

मधुबनी जलापूर्ति योजना से शहर के सभी वार्डो में जलापूर्ति सुनिश्चित की जायेगी । जलापूर्ति योजना को अगले दो वर्षो में पूर्ण किया जाना है और जलापूर्ति योजना के समाप्त होने के उपरांत संवेदक द्वारा अगले दो वर्षो तक इसका रख–रखाव भी किया जाना है ।

बिहार सरकार ने योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम(बुडको), पटना को कार्यान्वयन एजेंसी घोषित किया है । नयी सिवरेज योजना से शहर के घरों एवं प्रतिष्ठानों को सिवरेज नेटवर्क से जोड़ दिया जायेगा ।

ग्रामीण विकास मंत्री श्री नीतीश मिश्रा ने इस अति महत्वपूर्ण योजना की स्वीकृति के लिए राज्य के मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी के प्रति आभार व्यक्त किया है और नगर विकास मंत्री श्री सम्राट चौधरी को धन्यवाद ज्ञापित किया है । उन्होंने कहा कि, स्वच्छ पेय जल एवं शहर में जल–जमाव की मधुबनी में पुरानी समस्या थी । इस योजना के कार्यान्वयन से समस्या दूर हो सकेगी एवं निर्बाध स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होने के साथ ही जल जमाव से मुक्ति मिल सकेगी ।

17/07/2014

(पंचानन्द झा)